



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 411 राँची, मंगलवार, 30 आषाढ़, 1948 (श०)
21 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 जुलाई, 2026

संख्या-10/अनु०-कर्मचारी (नियमावली)-23-01/2025 का.- 4373--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के समाहरणालय के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की सेवा विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- संक्षिप्त नाम :- यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026' कही जायेगी।
- विस्तार :- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- प्रभाव की तिथि: यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ

- (क) राज्य :- 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
- (ख) संवर्ग :- 'संवर्ग' से तात्पर्य है राज्य के अधीन समाहरणालयों में कार्यरत लिपिकीय पदों का संवर्ग;
- (ग) आयोग:- 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
- (घ) विभाग:- 'विभाग' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली के द्वारा यथानिर्धारित विभाग;
- (ङ.) विभागाध्यक्ष:- 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी/प्राधिकार एवं समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित विभागाध्यक्ष;
- (च) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियुक्ति पदाधिकारी, जो समाहरणालय के लिपिकीय पदों पर नियुक्ति के लिए वर्तमान में अधिकृत हैं
- (छ) परीक्ष्यमान :- "परीक्ष्यमान" से तात्पर्य है संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित व्यक्ति;
- (ज) 'वरीयता सूची' से अभिप्रेत है लिपिकों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो
- (झ) 'नियंत्रि पदाधिकारी' से अभिप्रेत है सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्रि पदाधिकारी;
- (ञ) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

3. संवर्गीय संरचना एवं बल

- (क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :-

क्र०	कोटि/पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
(i)	सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक (मूल कोटि का पद)	1. रू० 5200-20200 (पी०बी०-1) ग्रेड वेतन 1900, लेवल-2	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(ii)	वरीय सहायक (प्रोन्नति का पद)	रू० 5200-20200 (पी०बी०-1) ग्रेड वेतन रू० 2400, लेवल-4 2. उक्त वेतनमान में 02 वर्षों की नियमित सेवा करने के पश्चात् वरीय वेतनमान ग्रेड पे रू० 2800, लेवल-5 आदेय।	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(iii)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी (प्रोन्नति का पद)	रू० 9300-34800 (पी०बी०-II) ग्रेड वेतन रू० 4200 लेवल-6	समूह 'ख'	अराजपत्रित
(iv)	प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 (प्रोन्नति का पद)	रू० 9300-34800 (पी०बी०-II) ग्रेड वेतन रू० 4600 लेवल-7	समूह 'ख'	अराजपत्रित

(v)	प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-1 (प्रोन्नति का पद)	रू० 9300-34800 (पी०बी०II) ग्रेड वेतन रू० 4800 लेवल-8 2. उक्त वेतनमान में 04 वर्षों की नियमित सेवा करने के पश्चात् वरीय वेतनमान (पी०बी०II) ग्रेड पे रू० 5400 आदेय। लेवल-9	समूह 'ख'	राजपत्रित
-----	--	---	-------------	-----------

- (ख) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व समाहरणालय में कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिक सहायक उच्चवर्गीय लिपिक वरीय सहायक, प्रधान लिपिक सहायक प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 एवं प्रशासी पदाधिकारी प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-1 के नाम से जाने जायेंगे।
- (ग) अधिकृत बल:- लिपिकीय पदों के अधिकृत बल वही होंगे जो किसी कार्यालय के लिपिकीय कार्यों के लिए वर्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय-समय पर स्वीकृत की जाय।
- (घ) प्रत्येक समाहरणालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत सम्बर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी :-
- (i) समाहरणालय के अधिकृत बल का 45 प्रतिशत पद सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद माने जायेंगे।
- (ii) अधिकृत बल के 30 प्रतिशत पद वरीय सहायक के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।
- (iii) अधिकृत बल का 20 प्रतिशत पद सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद माने जायेंगे।
- (iv) अधिकृत बल के 05 प्रतिशत पद प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 के पद माने जायेंगे। प्रत्येक समाहरणालय में प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-1 का मात्र एक पद रहेगा, जो प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 के अधिकृत बल के अंतर्गत होगा।

प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 के पदों का वितरण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक अनुमण्डल में कम-से-कम एक प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-2 रहे।

4. (क) सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया

- (i) रिक्ति की गणना:- प्रत्येक वर्ष 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी। इस कोटि में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 15 प्रतिशत पद समूह 'घ' के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।
- (ii) विभिन्न समाहरणालयों के द्वारा 1ली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए परिगणित रिक्तियों का नियमानुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षणवार रिक्तियों की सूचना राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

तदोपरांत राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा समाहरणालयों से प्राप्त रिक्ति संबंधी सूचना को समेकित करते हुए कोटिवार अधियाचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

- (iii) आरक्षण:- नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(iv) अधिमानता :- विभिन्न जिलों में संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमिडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत संचालित प्रतियोगिता परीक्षा में समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु एकबारीय रूप से निम्न छूट प्रदान किया जायेगा:-

(a) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक / बाह्य स्रोत के आधार पर कार्य की गयी अवधि के बराबर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा में छूट परन्तु संबंधित कर्मों का अधिकतम उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो।

(b) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित कुल पूर्णांक में संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर जो अभ्यर्थी 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्यरत रहे हैं, उन्हें उनके कार्य अनुभव, विभागीय कार्य प्रणाली की समझ एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया में निम्न प्रकार अतिरिक्त अधिभार (Weightage) देय होगा:-

(i) 03 वर्ष अर्थात् 36 माह तक की कार्य अवधि के लिए कोई अधिभार देय नहीं होगा।

(ii) 36 माह से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त माह के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा। उदाहरणस्वरूप:-

कुल कार्य अवधि	अतिरिक्त माह	अनुमान्य अधिभार
36 माह	00	00
37 माह	01 माह	0.15 प्रतिशत
40 माह	04 माह	0.60 प्रतिशत
60 माह	24 माह	3.60 प्रतिशत
120 माह	84 माह	12.60 प्रतिशत
136 माह	100 माह	15 प्रतिशत

(iii) अनुमान्य अधिभार किसी भी स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगा।

(iv) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यावधि का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग / कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत किया जायेगा, जो मान्य होगा।

(c) संविदा एवं दैनिक/एकमुश्त पारिश्रमिक/बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए अधिमानता प्रदान करने/अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी प्रावधान का प्रयोग मात्र पहली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किया जायेगा एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता :-**

(i) अनिवार्य योग्यता:- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंटरमीडिएट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा कम्प्यूटर पर टाईपिंग कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की गति से अधिकतम 5 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी।

(ii) वांछनीय योग्यता :- कम्प्यूटर संचालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा :- न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

(घ) चयन प्रक्रिया :- उपरोक्त कंडिका-4 (क)(i) के अनुसार प्राप्त अध्यायना के आलोक में आयोग 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट /10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सफल उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा संबंधित विभाग को कोटिवार अनुशंसा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध करायेगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा नियमानुसार सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाई की जायेगी। सफल उम्मीदवारों को योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

5. परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण

सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर नियुक्त कर्मी नियुक्त होने की तिथि से 02 वर्षों तक परिवीक्षाधीन माने जायेंगे। उन्हें संबंधित समाहरणालय की विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण का संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से की जायेगी। प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी।

6. सम्पुष्टि

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर कर्मी की वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

7. वरीयता

(i) प्रत्येक समाहरणालय में सहायक-सह-कम्प्यूटर संचालक के पद पर नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित की जायेगी एवं अन्य पदों पर एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

(ii) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।

(iii) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ आयोग की मेधासूची उपलब्ध नहीं हो, वहाँ कर्मियों की आपसी वरीयता नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि तथा जन्म तिथि एक रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी।

आयोग की मेधासूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से यथा अनुकम्पा के आधार पर, एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर्मों वरीय होंगे।

(iv) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मों, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मियों की तुलना में वरीय होंगे।

8. प्रोन्नति

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा एक पाँच सदस्यीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे।

(iii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों / अनुदेशों के अनुसार होगी।

(iv) प्रोन्नति के निमित्त समाहरणालय स्तर पर समेकित वरीयता सूची नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर संधारित होगी एवं उक्त सूची से प्रोन्नति दी जायेगी।

(v) कालावधि:- विभिन्न संवर्गीय पद के लिए, विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

(vi) प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

9. पदस्थापन /स्थानान्तरण

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन /स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे। नियंत्री पदाधिकारी यह व्यवस्था करेंगे कि कोई भी कर्मों एक ही कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक अवधि तक पदस्थापित नहीं रहें।

10 अवकाश/ चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त/प्रशिक्षण आदि के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

11. अनुशासनिक कार्रवाई

इस संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।

12. प्रकीर्ण

- (क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्रि पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।
- (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

13. निरसन और व्यावृत्ति

- (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-5028 दिनांक-15.06.2016 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 (समय-समय पर यथा संशोधित)' को एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 (समय-समय पर यथा संशोधित)' द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
